हेमन्त बनाम श्यामसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख आदेश जो हुक्म के पालन में जारी हुए
25/11/24	पत्रावली पेश हुई। अभि० वादी उप० पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 27/01/25 को पेश हो। Rahul	
27/01/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० वादी उप० पत्रावली के अभि० वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 03/02/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
3/2/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 10/02/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
10/02/2025	पत्रावली पेश हुई। अभि० वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 24/02/2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
24/02/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० वादी उप० वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है। खर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
वाद पत्र कमांकः– 192/2024

1. हेमन्त सिंह पुत्र दिलीप सिंह जाति गूजर निवासी उच्चैन तहसील उच्चैन।
2. रितिक छावडी पुत्र इन्दर सिंह जाति गूजर निवासी उच्चैन नाबालिग जरिये संरक्षक वली मा सीमा पत्नी इन्दर सिंह जाति गूजर निवासी उच्चैन।

..................वादीगण

बनाम

1. श्याम सिंह पुत्र भवानी,दत्तक पुत्र सोभा राम जाति गूजर निवासी उच्चैन
2. दिलीप सिंह
3. इन्दर सिंह पुत्रान श्याम सिंह जाति गूजर निवासी उच्चैन तहसील उच्चैन।
4. शाखा प्रबन्धक पीएनबी बैंक शाखा उच्चैन।
5. तहसीलदार तहसील उच्चैन।

.............प्रतिवादीगण

दावा अर्न्तगत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट

निर्णय   **दिनांकः–24.02.2025**

वादी ने यह वाद पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,188 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 28, 77, 78, 82, 88, 65, 130, 190, 194, 199, 203, 224, 267, 325, 338, 442, 443, 448, 462, 555/18, 602/294, 619/517 कुल किता 22 कुल रकबा 64 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम बारहपट्टी में स्थित है। उक्त वादपत्र में वर्णित आराजी हम वादीगण के परबाबा मृतक सोभाराम की छोडी हुई आराजी है चुंकि उक्त आराजी विवादित पैत्रिक होने के कारण हम वादीगण को उक्त आराजी में जन्म लेते ही अधिकार प्राप्त हो जाते है लेकिन उक्त आराजी का राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में न्यारानूर इन्द्राज प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हो रहा है तथा हम वादीगण कभी भी बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करा पाने के अधिकारी है। मौके पर उक्त वर्णित आराजी का हम वादीगण एव प्रतिवादीगण ने मौके पर मुताबिक हिस्सा विभाजन कर रखा है तथा मुताबिक

Bharti
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

कब्जा के हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण निरन्तर आज तक शान्तिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 में नशा एवं जुआ जैसी कई बुरी आदत है जिनकी पूर्ति हेतु राजस्व रिकार्ड में हो रहे इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 से मिल्लत कर उक्त आराजी को रहन बय एवं मुन्तकिल करने पर उतारू है। दिनांक 05.12.2020 को जब हम वादीगण अपने हिस्से की आराजी की बुवाई करा रहे थे कि अचानक प्रतिवादीगण मौके पर आ गये एवं आराजी को किसी दीगर व्यक्ति को रहन बय मुन्तकिल करने एवं आराजी से बेदखल करने की धमकी दी जिसके कारण वादीगण ने यह वादपत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 05.07.2022 को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगा० 3 ने राजीनामा पेश किया। दिनांक 18.07.2023 को प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का जवाब बंद किया गया। अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रकरण को राजीनामा के आधार पर डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड, वादीगण एवं प्रतिवादीगण के द्वारा पेश राजीनामा का अवलोकन किया गया। वादीगण के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 का स्पष्ट सजरा पेश नहीं किया है जिसके कारण प्रतिवादी संख्या 1,2 व 3 के वारिसान के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है चुंकि उक्त आराजी विवादित पैत्रिक है यदि प्रतिवादी संख्या 1,2 व 3 का वादीगण के अतिरिक्त अन्य कोई और वारिसान है तो वह उक्त वादपत्र में आवश्यक पक्षकार है ऐसी स्थिति में साफ जाहिर होता है वादीगण क्लीन हैण्ड से इस न्यायालय में नहीं आये है ऐसी स्थिति में वादपत्र वादी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश हैः–

वाद पत्र वादी खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 24.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Bharti

भारती गुप्ता (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)

वाद पत्र कमांकः– 192/2024

1. हेमन्त सिंह पुत्र दिलीप सिंह जाति गूजर निवासी उच्चैन तहसील उच्चैन।
2. रितिक छावडी पुत्र इन्दर सिंह जाति गूजर निवासी उच्चैन नाबालिग जरिये संरक्षक वली मां रीमा पत्नी इन्दर सिंह जाति गूजर निवासी उच्चैन।

..................वादीगण

बनाम

1. श्याम सिंह पुत्र भवानी,दत्तक पुत्र सोभा राम जाति गूजर निवासी उच्चैन
2. दिलीप सिंह
3. इन्दर सिंह पुत्रान श्याम सिंह जाति गूजर निवासी उच्चैन तहसील उच्चैन।
4. शाखा प्रवन्धक पीएनबी बैंक शाखा उच्चैन।
5. तहसीलदार तहसील उच्चैन।

.............प्रतिवादीगण

दावा अर्न्तगत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

Bharti

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम उच्चैन

व इजलास सुश्री भारती गुप्ता (RAS)

हेमन्तसिंह बनाम इन्द्रसिंह

दावा बाबत दुरुस्ती धारा 88, 89, 188 RTA

मुकदमा नं. 192/2024 (पुराना 48/2020) सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू हमारे

व हाजरी श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवो. मिनजानिब

.... मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वादपत्र वादीगण खारिज किया जाता है।

आज .... मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24 माह 02 वर्ष 25 को जारी की गई।

दस्तखत Bharti

मुहर

ओहदा उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दालय	रुपये	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील)पर		
महनताना वकील)पर			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा					
मुतफर्रिक			मीजान		
मीजान					